वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दि. 7 मार्च 2017

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

बेनकाब हुआ शहरी-माओवाद का षड्यंत्र - विनय बिदरे

(जी.एन. साईंबाबा व हेम मिश्रा सहित 6 पर दोष सिद्ध, 5 को उम्र कैद की सजा)

आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के एक सत्र न्यायालय द्वारा शहरी-माओवाद के समन्वयक प्रोफेसर जी. एन. साईंबाबा को दोषी घोषित कर दंडित करने के फैसले का अभाविप स्वागत करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज में पढ़ाने वाले जी. एन. साईंबाबा 2014 में आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा गिरफ्तार किये गए थे पर 2016 में स्वास्थ्य के आधार पर उनको कुछ समय की जमानत मिली थी।

देश में शहरी-माओवाद की जड़ें जमाने में साईबाबा का बड़ा हाथ हैं। मामले में यह साबित हुआ है कि साईबाबा ही जंगलों में बैठे अंडरग्राउंड माओवादियों से संवाद करते थे और शहरों में बैठे उनके लिये काम करने वालों से संपर्क रखते थे। वो ही शहरी माओवाद के राष्ट्रीय समन्वयक थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय का काम करते थे। उनकी संस्था रेवोल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (RDF) माओवादियों की शाखा के रूप में कार्यरत है।

दरअसल जी. एन. साईबाबा ही दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय सहित देशभर के अनेक शहरों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में माओवादियों की भर्ती तथा उनके पक्ष में माहौल बनाने के काम को कर रहे थे। इसमें उनकी शारीरिक विकलांगता भी उनकी मददगार साबित हुई जिसकी वजह से उनके काले कारनामे उजागर होने के बाद भी उन पर कठोर कार्यवाही नहीं हुई।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हाल ही में लगे देश-विरोधी नारे लगाने वाले भी जी. एन. साईंबाबा के गैंग के ही लोग थे। इसमें शामिल शिक्षक भी साईंबाबा के समर्थक हैं। साईंबाबा की गिरफ्तारी के बाद भी वामपंथी शिक्षकों ने उनके पक्ष में कई बार प्रदर्शन किए और उनकी सहायता भी की। इनके चेहरे आइसा, डीएसयू, एस.एफ.आई. जैसे छात्र संगठन हैं। आइसा ने भी साईबाबा को बचाने के लिए बहुत प्रयास किये और यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन भी किये।

इस मामले में जेएनयू में पढ़ रहे वामपंथी छात्र हेम मिश्रा भी दोषी सिद्ध हुए हैं और उनको उम्र कैद की सजा हुई है। हेम जेएनयू में डेमोक्रेटीक स्टूडेंट यूनियन (डीएसयू) के नेता थे। यह वही डीएसयू है जिसके अन्य सदस्य उमर खालिद व अनिर्बान भट्टाचार्य हैं जो 9 फरवरी 2016 को देशविरोधी नारे लगाने के अपराध में जमानत पर बाहर हैं।

अभाविप का यह स्पष्ट मत है की जेएनयू व डीयू के रामजस कॉलेज में देशविरोधी नारे लगाने वाले लोग केवल नारों तक सीमित नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो वास्तव में देश से सशस्त्र युद्ध कर रहे माओवादियों को प्रत्यक्ष समर्थन देते हैं और शहरों में भी उनकी गतिविधियाँ संचालित करते हैं। आज वामपंथी प्रोफेसर जी.एन. साईंबाबा, वामपंथी छात्र नेता हेम मिश्रा व 3 अन्य को मिली उम्र कैद की सजा ने यह भी साबित कर दिया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन नारेबाजों व उनके समर्थकों को बेनकाब कर देश हित में एक बड़ा काम किया है। ऐसे देशद्रोहीयों को बेनकाब करने का कार्य अभाविप करती रहेगी।

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री राहुल शर्मा द्वारा जारी की गई है)